रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 108] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 1983/फाल्गुन 13, 1904
No. 108] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 1983/PHALGUNA 13, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1983

का. आ. 160(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्द्वारा यह निदेश देते हैं कि दिल्ली का उप-राज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए तथा अगले आदेशों तक, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली, की किसी सेवा के संबंध में या दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली, के कार्यकरण से संबंधित किसी सेवा के संबंध में अनिवार्य सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1981 (1981 का 40) की धारा 3 के तहत, केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

[सं. यू-11030/1/83-यू.टी.एल.]
हर्ष वदन गोस्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 1983

S.O. 160(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Lt. Governor of Delhi shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers of the Central Government under Section 3 of the Essential Services Maintenance Act, 1981 (40 of 1981), in relation to any service in or in connection with the working of the Delhi Transport Corporation, Delhi.

[No. U-11030/1/83-UTL]

H. V. GOSWAMI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983